

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अन्वेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र

क्रमांक प 9 (4) (3) अजा / छात्र / सा.न्या.अ.वि. / 2014-15 / 40487-520

जयपुर, दिनांक

4/8/2014

उप निदेशक/सहायक निदेशक/

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,

(समस्त).....

विषय :- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 का आयोजना मद में अतिरिक्त बजट आवंटन।

उपरोक्त विषय में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को वर्ष 2010-11 व 2011-12, 2012-13 की बकाया एवं वर्ष 2013-14 हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की नियमानुसार स्वीकृत किये जाने हेतु आयोजना मद में सलग्न परिशिष्ट "क" के कॉलम संख्या 5 के अनुसार राशि रुपये 3875.00 लाख (अक्षरे अड़तीस करोड़ पिछेतर लाख रुपये मात्र) का अतिरिक्त बजट आवंटन कर भिजवाया जा रहा है। उक्त उल्लेखित वित्तीय वर्षों से पूर्व, के वर्षों की बकाया छात्रवृत्ति इस आवंटित बजट में से स्वीकृत नहीं की जावे।

छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :-

1. वार्षिक आय के प्रमाणीकरण के लिए वर्ष 2013-14 से विभागीय पत्र क्रमांक एफ 9 (4) () / छात्र/आवेदन/सान्याअवि./2011/63202-493 दिनांक 21.08.2013 द्वारा जारी एक पृष्ठीय आय का उद्घोषणा/शपथ पत्र मान्य किया गया तथा उक्त आय उद्घोषणा/शपथ पत्र के साथ-साथ पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या प.13(34)राज/ग्रुप-1/2012 दिनांक 09.08.2012 द्वारा जारी आय उद्घोषणा/शपथ पत्र भी मान्य होगा। आवेदक के माता-पिता/संरक्षक राज्य/केन्द्र सरकार की सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र व गत वर्ष के फॉर्म नं. 16 मान्य होगा।
2. गत वर्षों की बकाया (वर्ष 2010-11 व 2012-13) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम किया जावे।
3. मान्यता प्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के अनुक्रम में विभागीय पत्र क्रमांक एफ.9(4)(58)छा/सान्याअवि/89-90/29113-145 दिनांक 01.04.11 की पालना सुनिश्चित करें।
4. निजी शिक्षण संस्थाओं तथा राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने से पूर्व मान्यता एवं सम्बद्धता की पूर्ण जाँच करली जावे।
5. सभी पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति का भुगतान संबंधित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते के माध्यम से किया जावे।
6. छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं भारत सरकार द्वारा जारी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमों के परिपेक्ष्य में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता यथा निजी शिक्षण संस्थाओं के भौतिक सत्यापन, आय,जाति, अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं लिये जाने, दोहरा भुगतान नहीं होने इत्यादि की जाँच कर संतुष्टि उपरान्त ही

22M

छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाये। अनियमित/गलत स्वीकृति जारी किये जाने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, एवं वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी करने से पूर्व विभाग द्वारा जारी किये निर्देश क्रमांक एफ. 9(4)/आ.प./छात्र./सान्याअवि/09/41368-602 दिनांक 04.08.09 की पालना सुनिश्चित करें।

7. बजट आवंटन की सीमा में व्यय किया जावे एवं प्रत्येक आहरण-वितरण अधिकारी व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र जी.ए. 19 में प्रतिमाह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से भिजवाये।

छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर एवं विभागीय जांच दल द्वारा अंकित किए गए आक्षेपों को ध्यान में अवश्य रखें। सूचना भेजते समय हस्ताक्षर के नीचे कृपया अपना नाम और टेलीफोन नम्बर, ई-मेल आईडी अवश्य अंकित करें, ताकि पत्र व्यवहार एवं कार्यवाही में सुगमता रहे।

यदि आवंटित में कोई बचत रहती है तो विभागीय आईएफएमएस आईडी कोड 6341 पर ऑनलाईन समर्पित करें। बजट आवंटन की प्रति विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है। साथ ही अनुरोध है कि पूर्व एवं इस आवंटित बजट के आधिक्य व्यय/बचत तथा लाभान्वित छात्र-छात्राओं की पृथक पृथक सूचना दिनांक 15.03.2015 तक आवश्यक रूप से भिजवाये अन्यथा आवंटित बजट को पूर्ण व्यय मान लिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सलंगन : परिशिष्ट "क"

(नवीन महाजन)

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक प 9 (4) (3) अजा / छात्र / सा.न्या.अ.वि./2014-15/ 40521-559

जयपुर, दिनांक 4/8/2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. कोषाधिकारी,
3. वित्तीय सलाहकार, /परियोजना निदेशक (एस.सी.पी.)/उप निदेशक (योजना), मुख्यावास।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को बजट ऑनलाईन करने एवं विभागीय वेबसाइट पर डलवाने हेतु
5. लेखाकार (बजट)/अंक मिलान, मुख्यावास।

(अ.हरसहाय मोणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अ.जा.ज.जा. कल्याण)

40487-520
4-8-2014

वर्ष 2014-15 का राज्य आयोगना मद में अनुसूचित जाति वर्ग के भात्र-साजको की उत्तर मेटिक छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन

2222- अनु. जातिवर्ग/ अनु. जातिवर्गों तथा अन्य विधे वर्गों का कल्याण		
01- अनुसूचित जातिवर्गों का कल्याण		
789- अनुसूचित जाति के लिए शिक्षण सहायक		
(01)- छात्रवृत्ति और जीपी		
13- छात्रवृत्ति और जीपी (राज्य आयोगना मद)		

क्र.सं.	आहरण एवं वितरण अधिकारी	ID कोड	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1. अजमेर	उप निदेशक, सान्याअधि, अजमेर	10848	100.00	100.00	200.00
2. अलवर	सहायक निदेशक, सान्याअधि, अलवर	2506	200.00	400.00	600.00
3. बांसवाड़ा	सहायक निदेशक, सान्याअधि, बांसवाड़ा	23944	10.00	25.00	35.00
4. बीकानेर	उप निदेशक, सान्याअधि, बीकानेर	5037	10.00	50.00	60.00
5. बाड़मेर	सहायक निदेशक, सान्याअधि, बाड़मेर	15589	10.00	20.00	30.00
6. भरतपुर	उप निदेशक, सान्याअधि, भरतपुर	12632	50.00	100.00	150.00
7. भीलवाड़ा	उप निदेशक, सान्याअधि, भीलवाड़ा	23948	30.00	60.00	110.00
8. बीकानेर	उप निदेशक, सान्याअधि, बीकानेर	12580	100.00	50.00	150.00
9. बूंदी	जिला परिशीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअधि, बूंदी	23731	20.00	50.00	70.00
10. चित्तौड़गढ़	सहायक निदेशक, सान्याअधि, चित्तौड़गढ़	23949	30.00	30.00	60.00
11. चुरू	जिला परिशीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअधि, चुरू	14964	80.00	50.00	130.00
12. दौसा	जिला परिशीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअधि, दौसा	6478	100.00	200.00	300.00
13. धौलपुर	जिला परिशीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअधि, धौलपुर	23933	50.00	70.00	120.00
14. दूंगरपुर	सहायक निदेशक, सान्याअधि, दूंगरपुर	23951	10.00	5.00	15.00
15. श्रीगंगानगर	सहायक निदेशक, सान्याअधि, श्रीगंगानगर	6055	100.00	150.00	250.00
16. जयपुर	1) उप निदेशक, सान्याअधि, जयपुर शहर 2) उप निदेशक, सान्याअधि, जयपुर ग्रामीण	10856 25131	500.00 400.00	400.00 300.00	900.00 700.00
17. जैसलमेर	सहायक निदेशक, सान्याअधि, जैसलमेर	2503	5.00	5.00	10.00
18. जालोर	जिला परिशीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअधि, जालोर	17182	10.00	50.00	60.00
19. झुंझुनू	सहायक निदेशक, सान्याअधि, झुंझुनू	2278	100.00	300.00	400.00
20. जोधपुर	उप निदेशक, सान्याअधि, जोधपुर	7171	100.00	100.00	200.00
21. कोटा	उप निदेशक, सान्याअधि, कोटा	10685	100.00	150.00	250.00
22. नागौर	जिला परिशीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअधि, नागौर	9986	30.00	60.00	90.00
23. पाली	सहायक निदेशक, सान्याअधि, पाली	13260	20.00	20.00	40.00
24. राजसमंद	जिला परिशीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअधि, राजसमंद	8835	25.00	30.00	55.00
25. सवाई मारवाड़	सहायक निदेशक, सान्याअधि, सवाई मारवाड़	3325	25.00	40.00	65.00
26. सीकर	सहायक निदेशक, सान्याअधि, सीकर	11513	100.00	300.00	400.00
27. सिरोंही	सहायक निदेशक, सान्याअधि, सिरोंही	12213	20.00	40.00	60.00

(Handwritten signature)

28. टोक					
	पहायक निदेशक, सान्यासवि, टोक	5930	100.00	100.00	200.00
29. उदयपूर					
	उप निदेशक, सान्यासवि, उदयपूर	12097	100.00	300.00	400.00
30. कर्नाली					
	जिला परिषदा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्यासवि, कर्नाली	4174	50.00	100.00	150.00
31. प्रतापगढ					
	जिला परिषदा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्यासवि, प्रतापगढ	13576	50.00	80.00	130.00
32. हनुमानगढ					
	जिला परिषदा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्यासवि, हनुमानगढ	17262	80.00	100.00	180.00
33. प्रतापगढ					
	जिला परिषदा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्यासवि, प्रतापगढ	18517	10.00	20.00	30.00
	धारावीय-		2725.00	3875.00	6600.00

आतरे रूठ अढतीस करोड पिछेतर लाख मात्र

Nahm
आयुक्त